UPBS120000842021

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद स्थान–बस्ती

मूलवाद सं० 68/2021

दिलीप कुमार बनाम भालचन्द्र सोनी आदि

<u>29.01.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 ग२ पर वादी अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि रास्ता अक्षरान क,ख,ग,घ प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित डहर/ रास्ता की भूमि सं० 115 रकबा 0.082 हे० के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 10 ग 1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 11 ग 1, नकल खसरा कागज सं० 12 ग 1, छायाप्रति राजस्व मानचित्र कागज सं० 13 ग 1, दाखिल किया गया है। खतौनी एवं खसरा के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि आराजी सं० 115 डहर के रूप में दर्ज है, जो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है। वादी का अभिकथन है कि उक्त विवादित भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में होता है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अन्यथा वादी के दावे का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो, तब तक उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि विवादित रास्ता अक्षरान क,ख,ग,घ प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित आराजी सं० 115 रकबा 0.082 हे०, के किसी भी भाग पर कोई निर्माण न करें, न ही उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे। वादी आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन अविलंब करे। अनुपालन न करने की स्थिति में उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक 11.02.2021 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग२</u>

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8 ग 2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।